न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

मु0नं0 :- 11 / 21, 2021 / 2

पूर्व नं0 :- 30 / 2020 रज्जू दिनांक 01.01.2021

निर्णय दिनांक :- 01.08.2022

पीठासीन अधिकारी : मोहर सिंह मीना, आरएएस
सहायक कलक्टर लालसोट

1. जगदीश पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

– (प्रार्थी)

बनाम

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति,लालसोट
2. प्रभारी अधिकारी नरेगा, पचायत समिति,लालसोट

– (अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :

1. श्री बाबूलाल हाड़ा, एडवोकेट : (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनाक 01.08.2022

संक्षेप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जरिये अधिवक्ता प्रार्थी जगदीश पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी शिवसिंहपुरा तह. लालसोट, एक प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 245 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 177 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा स्थित वाकै ग्राम–शिवसिंहपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार वास्ता नही है। प्रार्थी ने वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में फसल काश्त कर रखी है । प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में होकर एक रास्ता पहले से ही बना हुआ है। जो वर्तमान में चालू है। परन्तु अप्रार्थीगण बिना किसी वैधानिक अधिकार के वादग्रस्त भूमि में होकर जबरन नरेगा में बिना स्वीकृति

प्लान व बिना अवाप्ति कार्यवाही किए जबरन मजदूरो के बल बूते पर मिट्टी खोद कर एक ओर नवीन रास्तो का निर्माण करने पर आमादा हो रहे है जिनको कोई कानूनिक अधिकार नही है। राज्य सरकार के भी आदेश है कि बिना अवाप्ति के खातेदारी भूमि मे होकर कोई भी नया रास्ता नही बनाया जावे परन्तु अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 245 व ख0नं0 177 में होकर रास्तो निर्माण करने पर आमादा हो रहे है तथा बिना स्वीकृति के मस्टरोल जारी करवा कर कार्य करने की योजना बना कर कार्य करने पर आमादा है।

अतःप्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 245 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व अराजी ख0नं0 177 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा ताकै ग्राम शिवसिंहपुरा तह0 लालसोट में होकर अप्रार्थीगण जबरन नवीन रास्ता निकालने से स्वयं, अपने एजेन्ट, मेट, लेबरो एवं अन्य व्यक्तियो सहित ताफैसला वाद प्रतिबंधित रहें ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को तलबी जारी की गई विकास अधिकारी, पंचायत समिति,लालसोट एवं तहसीलदार,लालसोट से प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे रिपोर्ट ली गई। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जिक्र किया की प्रार्थी आराजी वादग्रस्त का रिकॉडेड खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि से होकर जबरन नरेगा के तहत रास्ता निकाला जा रहा है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज ही नही है। प्रार्थीगण का यह कृत्य विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से रास्ता निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। ताकि प्रार्थी के हितो की रक्षा की जा सकें। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 पेश की।

विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट ने अपने रिपोर्ट में अंकन किया है कि ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा द्वारा स्वीकृत ग्रेवल सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा के गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं0 303 व रिकोर्डेड रास्ते में ही किया जा रहा है। उक्त रास्ते की पैमाइश व सीमाज्ञान भी प्रार्थी जगदीश मीना की उपस्थिति में मौके पर ही करवाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण वहीं करवाया गया है। ख0नं0 245 व 177 के मध्य होकर राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कटा हुआ है। जिस पर खातेदार ने अतिक्रमण करके डोल व तारबंदी कर रखी है, जबकि मौके पर रास्ता 10 फीट ही चौड़ा है। ख0नं0 245 व 177 एक ही खातेदार की कृषि भूमि है। जिसके खातेदार जगदीश मीणा स्वयं है। सीमाज्ञान के बाद उपस्थित ग्रामीणों एवं स्वय जगदीश मीना ने विचार–विमर्श किया तथा खातेदार जगदीश मीणा ने कहा कि रास्ते के दोनों ओर मेरी खातेदारी भूमि है। इसलिए एक तरफ की डोल को ही तोडा जावे तथा दूसरी तरफ की डोल/तार बन्दी को नहीं तोड़ा जावें। इसके बाद दूसरे दिन जब नरेगा श्रमिकों के द्वारा उसके बताये अनुसार ही कार्य तथा उसकी एक तरफ की डोल को ही तोड़ा गया है तथा उस डोल पर जो कि छोटे–छोटे हरे पेड़ थे उन्हें स्वयं काश्तगार (जगदीश मीना) के द्वारा ही कांटे गये है। तथा ख0नं0 245

एवं ख0न0 177 में ग्रेवल का निमार्ण कटे हुए रास्ते में ही करवाया गया है। इस हेतु नरेगा श्रमिको एवं ग्राम शिवसिंहपुरा के प्रमुख व्यक्तियों के शपथ पत्र भी पेश है।

तहसीलदार लालसोट ने उक्त आराजीयात् के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 245 रकबा 3.14 बीघा खसरा नम्बर 177 रकबा 9.19 बीघा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में खातेदार जगदीश पुत्र मूल्या जाति मीना के नाम खातेदारी मे दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 245 की मेड पर जो रास्ता बना हुआ है, राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नहीं है एवं उक्त रास्ता खातेदारी भूमि मे ही बनाया गया है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, विकास अधिकारी प.सं. लालसोट एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर फरमाया तथा मनन किया। तहसीलदार एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट की रिपोर्ट विरोधाभाषी है। जहॉ विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट की रिपोर्ट में ग्रेवल सडक का निर्माण राजस्व रिकॉर्डेड रास्ते ही किया जाना बताया गया है जबकि तहसीलदार लालसोट ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 245 की मेड पर स्थित रास्ते जो प्रार्थी जगदीश मीना की खातेदारी में दर्ज है, मे होकर ही ग्रवल सडक निर्माण होना बताया है, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट में अकित तथ्य की पुष्टी जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में खसरा नम्बर 245 रकबा 3.14 बीघा खसरा नम्बर 177 रकबा 9.19 बीघा खातेदार प्रार्थी जगदीश मीना के नाम दर्ज होने से होती है। विकास अधिकारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध होता हो कि निर्माण कार्य जिस भूमि में किया जा रहा है वो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है। एक खातेदारी भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया के जबरन रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। अतः केस प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनों, दस्तावेजो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आराजी वादगस्त खसरा नम्बर 245 रकबा 3.14 बीघा खसरा नम्बर 177 रकबा 9.19 बीघा वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट में होकर जबरन रास्ता निकालने अथवा निकलवाने बाबत् ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास आज दिनांक 01.08.2022 को सुनाया गया।

मोहर सिंह मीना (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
लालसोट